संख्या- 811 /18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव , उत्तरप्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त ।
4. समस्त जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 4 लखनऊः अक्टूबर 06, 2025

विषयः- त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

प्रदेश के निर्यातकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने , विपणन सामर्थ्य के विकास, प्रमुख वैश्विक बाजारों एवं उनकी मांग के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान किये गये हैं। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में **"त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना"** के अन्तर्गत **"अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता कार्यक्रम"** को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने का निर्णय लेते हुए पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो कार्य सम्पादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो , उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी। उक्त के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गठित की गयी निर्यात संवर्धन परिषदों तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित निर्यातक एवं औद्योगिक संगठन भी आर्थिक सहायता हेतु पात्र होंगे। योजनान्तर्गत सुसंगत प्रावधानों के अधीन निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगीः-

2.1 विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी , बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग अथवा आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।

2.2 निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, कैटलॉग प्रिंटिंग, वेबसाइट का विकास, डिजीटल कैटलॉगिंग, डिजीटल सामग्री विकास, डिजीटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया विज्ञापन पर आर्थिक सहायता।

2.3 विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।

2.4 गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रमाणीकरणों हेतु आर्थिक सहायता।

3. योजनान्तर्गत उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी:-

1	निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस प्रयोजन हेतु एक निर्यातक इकाई को स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि ₹ 3.25 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वायुयान के इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 1.25 लाख की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी, परन्तु इस हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता किसी भी दशा में निर्यातक द्वारा स्थल किराये में निर्यातक अंश के रूप में व्यय की गयी धनराशि से अधिक नहीं होगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु अनुमन्य होगी जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया गया हो अथवा प्रश्नगत मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट केन्द्र/विभिन्न राज्य सरकारों/अपेक्स ट्रेड बाडीज़/कमोडिटी बोर्डस/वाणिज्य दूतावासों द्वारा संस्तुत या अधिसूचित किया गया हो।
2	निर्यातक इकाई द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल फेयर अथवा बायर सेलर्स मीट में प्रतिभाग करने पर आर्थिक सहायता।	(क)	अन्तर्राष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एग्जीबीशन्स अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु निर्यातक इकाई द्वारा किये गये कुल व्यय धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25000/- प्रति फेयर की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एग्जीबीशन्स अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के लिए अनुमन्य होगी, जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स अथवा निर्यातक संगठनों द्वारा किया गया हो।
3	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों में निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस प्रयोजन हेतु एक निर्यातक इकाई को स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 75 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि ₹ 75,000/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बस/रेल/वायुयान के इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा परव्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 75 प्रतिशत,

			अधिकतम धनराशि रु0 30,000/-(जो भी कम हो) की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु अनुमन्य होगी जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया गया हो अथवा प्रश्नगत मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट केन्द्र/विभिन्न राज्य सरकारों/अपेक्स ट्रेड बाडीज़/कमोडिटी बोर्डस/वाणिज्य दूतावासों द्वारा संस्तुत या अधिसूचित किया गया हो।
4	विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों/ट्रेड प्रमोशन बॉडीज एवं पात्र संस्थाओं द्वारा विदेश में आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत विदेशी बाजारों में मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 03 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	आयोजक संस्था द्वारा इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन के कम-से-कम एक माह पूर्व प्रतिभाग करने वाली सम्भावित निर्यातक इकाईयों की सूची एवं अनुमानित व्यय विवरण के साथ निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में आवेदन किया जायेगा।
		(घ)	परम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 20 निर्यातक इकाईयों द्वारा तथा अपरम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 10 निर्यातक इकाईयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा।
		(ङ)	मेला-प्रदर्शनियों अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु अनुमन्य आर्थिक सहायता की 50 प्रतिशत धन राशि अग्रिम के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष धनराशि का भुगतान/समायोजन आयोजक संस्था द्वारा सम्प्रेक्षित व्यय विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
5	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार

	एवं बायर्स सेलर्स मीट के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।		के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा स्वदेश में आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 01 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 30 निर्यातक इकाईयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा।
6	वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	वर्चुअल मेला-प्रदर्शनी के पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 25 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आयोजित वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में न्यूनतम 100 एम.एस.एम.ई./हस्तशिल्पी इकाईयों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिनमें से 50 प्रतिशत इकाईयों का निर्यातक होना अनिवार्य होगा।
		(घ)	प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में क्रेता के रूप में प्रतिभाग/विजिट करने वाली इकाईयों की संख्या एक्ज़ीबीटर/विक्रेता/निर्यातक इकाईयों का न्यूनतम तीन गुना होना आवश्यक होगा।
		(ङ)	प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग/विजिट करने वाले क्रेता में न्यूनतम 75 प्रतिशत क्रेता का विदेशी क्रेता होना आवश्यक होगा।
7	निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विदेशी पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, कैटलॉग प्रिंटिंग, वैबसाइट का विकास, डिजीटल कैटलॉगिंग, डिजीटल सामग्री विकास, डिजीटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया विज्ञापन पर आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत निर्यातक इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम ₹ 01 लाख की वित्तीय सहायता अनुमन्य।
8		(क)	

	विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।		विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने पर किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम धनराशि ₹ 2.00 लाख प्रतिवर्ष, प्रति निर्यातक आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
9	निर्यात सम्बन्धी सर्टीफिकेशन्स प्राप्त किये जाने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	निर्यातक इकाई द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणीकरण प्राप्त किये जाने पर किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता अनुमन्य। इस श्रेणी अन्तर्गत विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में किसी निर्यातक इकाई को अनुमन्य कुल वित्तीय सहायता धनराशि अधिकतम ₹ 25 लाख प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष की सीमान्तर्गत सहायता हेतु दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
		(ख)	निर्यातक इकाई द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्लाईन्सेस/रेगुलेशन आदि से सम्बन्धित प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों की सूची को समय-समय पर अद्यतन किये जाने का अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

4. उपर्युक्त प्रस्तर 3 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न श्रेणियों में अनुमन्य कुल आर्थिक सहायता धनराशि रु0 25.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

5. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

1. निर्यातक इकाईयों द्वारा कार्य सम्पादन की तिथि से अधिकतम 120 दिन के भीतर दावा ऑनलाइन फाइल किया जायेगा। मेला प्रदर्शनी श्रेणी में उक्त अवधि की गणना मेला समाप्त होने की तिथि से होगी। नमूना प्रेषण में उक्त 120 दिन की अवधि की गणना दावे में सम्मिलित किये गये नमूनों में से प्रथम नमूने के प्रेषण एवं तत्संबंधी निर्गत की गई इन्वाइस की तिथि से की जाये। उक्त के अतिरिक्त दावे से सम्बन्धित सभी नमूने संदर्भित वित्तीय वर्ष के ही होने चाहिए। प्रचार-प्रसार श्रेणी के दावों में उक्त अवधि की गणना कैटलॉग प्रिन्टिंग संबंधी निर्गत इन्वाइस की तिथि/वेबसाइट डेवलपमेंट की तिथि से होगी। निर्यात सम्बन्धी सर्टीफिकेशन्स प्राप्त किये जाने श्रेणी के दावों में उक्त अवधि की गणना सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से होगी।

2. निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी।

3. इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 15 दिवसों की अवधि तक आवेदन-पत्र में हुई त्रुटियाँ स्वयं संशोधित की जा सकेंगी। उक्त 15 दिवसो की अवधि के उपरान्त दावा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। उपायुक्त द्वारा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के पोर्टल पर योजनान्तर्गत दावों के प्रदर्शित होने की तिथि से 21 दिवसों की अवधि में पूर्ण पाये गये दावों का परीक्षण कर संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

4. अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में उपायुक्त उद्योग द्वारा पोर्टल पर दावे की अपूर्णता एवं उसका विवरण अंकित जायेगा। अपूर्ण दावों से संबंधित अभिलेख निर्यातक इकाई द्वारा 15 दिवसों में अपलोड किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा। इकाई द्वारा अपूर्ण दावों के संबंध में औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने पर उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिवसो की अवधि में दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

5. उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को दावा अग्रसारित न किये जाने अथवा दावे में अपूर्णता की स्थिति में दावा इकाई को रिवर्ट न किये जाने पर दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

6. निर्यातक इकाईयों द्वारा ऑनलाइन फाईल किये गये ऐसे दावे , जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त किए जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

7. उपायुक्त उद्योग से अग्रसारित दावों पर स्पष्ट संस्तुति होने पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो , उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 15 दिवस में दावे को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा दावे को ऑनलाइन प्राप्त करने पर दावा एजेण्डे में सम्मिलित हो जायेगा, जिसे योजनान्तर्गत प्राधिकृत समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया , दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग , उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य
5	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

7. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पायत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

8. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

9. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

10. यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 206 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उ0प्र0 की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी जो कार्य संपादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 व उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी।

11. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो

इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

12. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

13. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 05-11-2025
15:03:05

भवदीय

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-811 (1)/18-4-2025,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।